राजस्थान सरकार

।। कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 03/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दलपतराम पुत्र श्री अमराराम मेघवाल निवासी ग्राम तेजूआ पोस्ट छत्रेल जिला जैसलमेर		अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:: निर्णय :: **दिनांक : 21 फरवरी, 2017**

01. अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 19 सितम्बर, 2017 के द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

02. अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में किन कारणों से उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसका कारण स्पष्ट करे एवं क्यों न इस अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस अपील का निस्तारण किया जावे। अपीलार्थी को भी सूचित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आपको वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में आप यदि कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहे तो प्रस्तुत करें।

03. अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से प्राप्त एक पृष्ठीय सूचना मय प्रतिवेदन को दिनांक 8 फरवरी, 2017 को आवेदक को उपलब्ध कराया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने से अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

04. मैंने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर ने लिखित कथन में उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र से वांछित सूचना दिनांक 8 फरवरी, 2017 को प्रदत्त कर दी गई है। इस आलोक में अपील में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है एवं अपील पत्रावलित किये जाने योग्य है।

05. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

06. मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 21 फरवरी, 2017 को निर्णय किया गया।

07. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित की जावे।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

RTI Court / appeal decision - 2017